<u>न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज</u>
<u>स्वत्व वाद संख्या–175/1995</u>
<u>cis-317/2018</u>

बागड़ महतो.....वादी

बनाम

भूलन साह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<u>16.12.2021</u> उभय पक्ष की पैरवी है। वादी की ओर से एक आवेदन दिनांक 13.12.21 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 के तहत दाखिल किया गया है।

वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या–7 राघव साह की मृत्यु नवम्बर 2021 में हो गई है तथा वे अपने पीछे अपने एक मात्र पुत्र दीपक साह को विधिक वारिसान के रूप में छोड़ गए हैं। ऐसी दशा में उनके विधिक वारिसान को उनकी जगह पक्षकार बनाया जाय।

इस संबंध में प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक विरोध किया गया तथा कहा गया कि राघव साह की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है तथा वादी द्वारा विलंब से आवेदन दाखिल किया गया है। ऐसी दशा में वादी का आवेदन खारिज होने योग्य है।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष स्वीकार करते हैं कि प्रतिवादी संख्या–7 की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी दशा में वादी द्वारा दाखिल आवेदन न्याय हित में स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से प्रतिवादी संख्या–7 का नाम विलोपित करते हुए उसके स्थान पर उनके विधिक वारिसान का नाम प्रतिस्थापित करें। तत्पश्चात वादी प्रतिस्थापित प्रतिवादी की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वास्ते अग्रिम कार्रवाई हेतु अभिलेख दिनांक 22.12.21 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश(प्रथम)